सं. एन-11027/43/2007-जेएनएनयूआरएम/एनबीओ
दिनांक 3 फरवरी, 2008

प्रिय,

मैं आपको मलिन बस्तियों (स्लमों), गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करनेवाले परिवारों और जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी) के तहत पहचाने गए शहरों और आईएचएसडीपी के तहत कवर अन्य शहरों/नगरों (चरणबद्ध तरीके से) की आजीविका का सर्वेक्षण करने के संबंध में लिख रहा हूं।

2. जैसाकि आप जानते हैं, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी गरीबों की आवास, मूलभूत सुविधाओं, रोजगार और कौशल विकास की चिंताओं को दूर करने के लिए जेएनएनयूआरएम और एसजेएसआरवाई जैसे विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों पर फोकस किया गया है। इन विषयों के संबंध में राष्ट्रीय सूचना तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने अर्बन स्टेटिस्टिक्स फोर एचआर एण्ड एसेसमेंट्स (ऊषा) नाम की एक नई स्कीम शुरू की है। नेशनल बिल्डिंग्स ऑर्गेनाईजेशन (एनबीओ) द्वारा कार्यान्वित इस स्कीम में नियोजन, नीति निर्माण, परियोजना बनाने, कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा, विशेषकर मलिन बस्तियों के विकास के क्षेत्रों में, गरीबों को मूलभूत सेवाओं और वाजिब आवास की व्यवस्था के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय, राज्य और नगर स्तरीय आंकडों और ज्ञान के आधार पर फोकस किया गया है। स्कीम का उद्देश्य राज्यों को उनकी सर्वेक्षणों से संबंधित गतिविधियों में मदद देना और आंकड़ों का उपयुक्त आधार बनाना है।

3. आप सराहना करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू करने से इस बात का एहसास हुआ है कि शहर की सार्थक विकास योजनाएं तैयार करने के लिए आंकड़ों का आधार और इनके अनुसरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। ऐसा देखने में आया है कि बीपीएल और कौशल की आवश्यकता के मूल्यांकन संबंधी सर्वेक्षणों के अभाव से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत शहरी गरीबों को उपयुक्त तरीके से लक्षित करना प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। मंत्रालय ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर मलिन बस्तियों, शहरी गरीबी और आजीविका प्रोफाईलों के विकास के लिए राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय संगठनों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन प्रोफाईलों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को अनुदान निम्न पैमाने पर प्रदान किया जाएगा:

- 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 10 लाख रूपए प्रति शहर
- 1 मिलियन और 4 मिलियन के बीच आबादी वाले शहरों के लिए 7 लाख रूपए प्रति शहर
- 5 लाख और 1 मिलियन के बीच आबादी वाले शहरों के लिए 5 लाख रूपए प्रति शहर
- 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 2 लाख रूपए प्रति शहर,

राज्य सरकारों/ शहरी स्थानीय संगठनों द्वारा, जिन्होंने समय-समय पर विभिन्न गरीबी संबंधित सर्वेक्षण किया है, निधियों की यथाअपेक्षित अतिरिक्त जरूरत पूरी की जाएगी।

4. आरंभ में, मूलभूत सेवाओं से शहरी गरीब के संबंध में उप-अभियान के तहत पहचाने गए 63 शहरों को कवर करने का प्रस्ताव है। आपके राज्य को निधियां प्रदान करने की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। आईएचएससीपी के तहत कवर किए गए शहरों/नगरों/ ऐसे अन्य प्रमुख शहरों के लिए जिनमें आईएचएससीपी के तहत कवर किए जाने के संभावित उम्मीदवार हैं, निधियां प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाएंगी और शहरों/नगरों को चरणबद्ध तरीके में कवर किया जाएगा। आपकी सरकार इस वर्ष कवर किए जाने के लिए शहरों/नगरों की प्राथमिकता का निर्धारण करे और प्रस्तावों को तदनुसार, निधियां जारी करने के लिए भेजे।

5. शहरों/नगरों में मलिन बस्तियों के प्रोफाईल, गरीबी प्रोफाईल और आजीविका प्रोफाईल तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश की प्रति एतदद्वारा सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। स्पष्टीकरण और आगे सूचना दिए जाने के लिए, आप श्री डी.एस. नेगी, विशेष कार्य अधिकारी (जेएनएनयूआरएम) और निदेशक (एनबीओ) के संपर्क में संबंधित अधिकारी करे।

सादर,

भवदीय

(डॉ. पी.के. मोहंती)

संलग्नक: यथोपरि